

न्यायालय श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल
ग्वालियर (म०प्र०)



क्रमांक - 1874 - 4 - 16

मातादीन पिता स्व० श्री हरीदीन पटेल उम्र 57 वर्ष, पेशा खेती, निवासी
ग्राम कठार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

दनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म०प्र०

.....गैर निगरानीकर्ता

श्री. श्री. यशवंत बप्पू
दस्तावेज क्रमांक 05/6/16
प्रस्तुत

०५/६/१६

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय न्यायालय
अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म०प्र०
का प्रकरण क्रमांक 11/अ-19(4)/स्व.पुन.
/2004-05 व आदेश दिनांक 24.06.2009
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०
1959ई०

०५/६/१६ महोदय,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

01. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.06.2009
विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अनुविभागीय अधिकारी बांधौगढ़ के प्रकरण क्रमांक 161/स्व.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1874-दो/2016

जिला उमरिया

मातादीन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 11/अ-19(4)/स्व.पुन./2004-05 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p><i>hant</i> (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019</p>